PART-I

HARYANA GOVERNMENT

LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 9th April, 2025

No. Leg. 11/2025.— The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the Governor of Haryana on the 5th April, 2025 and is hereby published for general information:-

HARYANA ACT NO. 10 OF 2025

THE HARYANA REGISTRATION AND REGULATION OF TRAVEL AGENTS ACT, 2025

AN

ACT

to establish a framework to ensure the transparency, accountability, integrity of travel agents and to check and curb their illegal and fraudulent activities, safeguarding the interest of residents of the State of Haryana and for the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Act, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "appellate authority" means an officer appointed by the State Government, by order, to be the appellate authority for the purposes of this Act;

(b) "cheating" means cheating as provided under sub-section (1) of section 318 and includes cheating by personation as provided under sub-section (1) of section 319 of the Bharatiya Nyaya Sahinta, 2023 (Central Act 45 of 2023);

(c) "company" shall have the same meaning as assigned to it under the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013);

(d) "competent authority" means an officer appointed by the State Government, by order, to be the competent authority for the purposes of this Act;

(e) "dependent" means any person who is dependent on the emigrant or is in blood relation to that emigrant;

(f) "device" means any machinery or instrument that may be used or intended to be used for the purpose of forging or counterfeiting any document;

(g) "document" means any educational certificate, certificate for English language test for study, migration or work, travel paper, visa, ticket or passport in physical or electronic form including digital record that may be used or intended to be used as evidence in support of qualification for the purpose of tourism or emigration;

(h) "emigrant" means a citizen of India who intends to emigrate or emigrates or has emigrated outside India for any purposes such as study, work, tourism etc.;

(i) "human smuggling" shall mean and include illegal exporting, sending or transporting a person out of India or any type of facilitation thereto by receiving money from him or his parents, relatives or any other person interested in his welfare, by inducing, alluring, deceiving or cheating;

(j) "illegally acquired property" means any property whether movable or immovable, acquired by illegal means by a travel agent in contravention of the provisions of this Act;

(k) "ombudsman" means an officer appointed by the State Government, by order, to be the ombudsman for the purposes of this Act;

(l) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(m) "registration certificate" means a registration certificate issued by the competent authority under section 3 of this Act;

(n) "State Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(o) "travel agent" means any firm or company or unit or a person doing the profession which involves arranging, managing or conducting affairs relating to tourists or travelers visiting within the country or sending persons abroad or which arise out of the affairs of persons sent to a foreign country except for carrying out the business of recruitment being governed under the Emigration Act, 1983 (Central Act 31 of 1983) and shall include all or any of the following, namely: -

- (a) processing of applications for or relating to grant of passport or visa; or
- (b) acting as an agent for a company, firm or such type of bodies or entities for-
  - (i) selling air travel tickets; and
  - (ii) providing means of transportation for travel within the country or to a foreign country by land or sea; or
- (c) providing consultancy visa service or guidance to the person intending to go abroad for-
  - (i) acquiring education;
  - (ii) undertaking a pleasure trip as a tourist or traveler;
  - (iii) getting medical treatment;
  - (iv) arranging cultural entertainment or musical shows;
  - (v) spreading or preaching religion; or
  - (vi) participating in sports tournaments or events; or
- (d) giving an advertisement or publicity, which relates directly or indirectly to any field of travel to a foreign country by means of publication, transmission, communication or internet; or
- (e) holding of seminars or delivering of lectures to promote emigration or rendering assistance for such purposes; or
- (f) arranging matrimonial alliance and adoption for the purpose of emigration; or
- (g) arranging travel of any person within the country or from India to abroad for any purpose whatsoever; or
- (h) acting as freelancing type tout for any of the purposes mentioned in clauses (a) to (g).

Registration.

3. (1) Any person intending to undertake the profession of a travel agent or who is already in such profession on the commencement of this Act, shall make an application to the competent authority in such manner, within a period of three months from the commencement of the Act, alongwith such fee and documents, as may be prescribed under the rules.

(2) If the competent authority is satisfied that the application made under sub-section (1) is in order, it shall issue a registration certificate within a period of thirty days subject to such terms and conditions and in such form, as may be prescribed:

Provided that if the competent authority is satisfied that the particulars given in the application are incorrect or are incomplete or any evidence or information required for issuing the registration certificate is not furnished, it may, after necessary inquiry and after giving the applicant an opportunity of being heard, reject the application for the reasons to be recorded in writing:

Provided further that the person whose application has been rejected for grant of registration certificate, may make another application to the competent authority for grant of registration certificate, after removing the defects pointed out by it.

(3) The registration certificate shall not be issued to a person under sub-section (2), unless the particulars and documents given by him, in his application, are verified by the police.

(4) The validity of a registration certificate shall be for a period of three years, which shall be renewable in such manner and for such period, as may be prescribed.

Compulsory registration.

4. (1) No person shall undertake the profession of a travel agent unless he obtains a registration certificate under the provisions of this Act.

(2) Any person or establishment found working as travel agent without registration, shall be guilty of an offence punishable under this Act.

Power of competent authority.

5. For the purposes of this Act, the competent authority shall have the power to summon and enforce the attendance of witnesses including the parties interested or any of them, and to compel the production of documents by the same means, and (so far as may be) in the same manner as is provided in the case of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

Registration of office or its branch.

6. Any person who has obtained a registration certificate under this Act for doing the profession of travel agent subsequently opens other office or its branch at a place situated in same or other district, he shall be required to obtain a fresh registration certificate for such office or its branch.

Cancellation or suspension of registration certificate.

7. (1) The competent authority may cancel the registration certificate granted under this Act, on an application made to it by any person or otherwise on information that the travel agent has,-

(a) become insolvent or bankrupt; or

(b) indulged or abetted, directly or indirectly into an act, which is prejudicial to the interest of India or its security; or

(c) found involved in human smuggling or in preparation of forged documents; or

(d) been convicted by a Court for any criminal offence; or

(e) obtained or got renewed the registration certificate by misrepresentation or suppression of any material fact; or

(f) violated any of the terms and conditions of the registration certificate; or

(g) failed to do the profession of travel agent for a continuous period of one year:

Provided that before cancellation of the registration certificate, a show cause notice shall be issued to the travel agent to explain his position within seven days from the receipt of notice as to why his registration certificate may not be cancelled.

(2) If the registration certificate is cancelled for the reason mentioned in clause (d) of sub-section (1) and the conviction is set aside by the appellate Court, the competent authority may restore the registration certificate suo moto or on an application made to it in this regard by the travel agent.

(3) Where the competent authority, for the reasons to be recorded in writing, is satisfied that the question of cancellation of registration certificate on any of the grounds mentioned in sub-section (1) is pending with it for consideration, it may, by an order in writing, suspend the operation of the registration certificate for such period, not exceeding ninety days, as may be specified in the order. The travel agent shall be required to show cause within a period of fifteen days from the date of receipt of such order as to why the period of suspension may not be extended till the question of cancellation of registration certificate is decided by the competent authority.

(4) Before passing an order of cancellation or suspension, the competent authority shall consider the matter keeping in view the interests of the emigrants and may pass such order, as it may deem appropriate.

(5) Except as otherwise provided under this Act, where a registration certificate has been cancelled, such travel agent shall be debarred from undertaking the same profession for such period, as may be determined by the competent authority.

Travel agent to inform competent authority.

8. (1) A travel agent may surrender his registration certificate at any time after its issuance, by giving three months notice, to the competent authority and on the expiry of the notice period, the registration certificate shall be deemed to have been cancelled:

Provided that the travel agent shall publish the intention of the closure of his office or its branch, in two daily newspapers, one of which shall be in the regional language having wide circulation in the locality concerned and the notice for surrender of registration certificate shall be accompanied with a copy of such newspapers.

(2) The fact of cancellation of the registration certificate under sub-section (1) shall be published by the competent authority in two daily newspapers one of which shall be in the regional language having wide circulation in the locality concerned.

(3) On the cancellation of the registration certificate, the travel agent shall not be entitled to refund of fee deposited by him at the time of submitting his application for obtaining the registration certificate.

(4) Notwithstanding the cancellation of registration certificate under this section, the travel agent shall be liable for the acts, omissions and commissions committed by him prior to the date of cancellation of the registration certificate and shall also be proceeded as per the provisions of this Act.

Appeal.

9. Any person aggrieved by an order passed by the competent authority under section 3 or 7 of this Act, may prefer an appeal against such order to the appellate authority within ninety days of passing of such order:

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of ninety days of the order within a further period of ninety days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

Digital proceedings.

10. The process of issuance of registration certificate and suspension/cancellation of registration certificate etc. shall be carried out on a centralized web portal through digital means, in such manner, as may be prescribed.

Power of search and seizure.

11. If, any Executive Magistrate not below the rank of Sub-Divisional Magistrate or a police officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police, upon information given to him by any person and taken down in writing that any document or device in respect of which an offence punishable under this Act has been committed or any document or other article which may furnish evidence of commission of such offence, is kept or concealed in any building, tent, vessel, conveyance or place, he may, at any time-

(a) enter into and search any such building, tent, vessel, conveyance or place;

(b) break open any door or window of any house and remove any obstacle to such entry in case of any resistance in the presence of at least two independent witnesses;

(c) seize any document or device or substance or material used for fabrication of any document which he has reason to believe to be liable to confiscation under this Act and any other document or article which he has reason to believe that it may furnish evidence of the commission of any offence punishable under this Act.

Power to investigate.

12. A police officer, not below the rank of Sub-Inspector, shall conduct an investigation which shall be completed by him within a period of three months from the date of information given to him by any person. The police officer of the rank of Deputy Superintendent of Police/Assistant Commissioner of Police, as the case may be, shall verify the investigation conducted by the Sub-Inspector.

Nodal Officer of investigation.

13. The Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police, as the case may be, shall be the Nodal Officer for all the investigations to be conducted in their respective jurisdiction.

Confiscation.

14. While trying the offences under this Act, the Court shall decide whether any illegally acquired property is liable to be confiscated and if it so decides, may order confiscation of that property in the manner, as it deems fit.

15. (1) Whoever attempts or is found involved in human smuggling or in the preparation of forged documents, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine not less than two lakh rupees but which may extend to five lakh rupees. Punishment.

Explanation.- For the purpose of this sub-section forged documents includes a false document or electronic record made wholly or in part by forgery.

(2) Whoever undertakes the profession of travel agent without obtaining a registration certificate under the provisions of this Act or contravenes the provisions of this Act or keeps or uses the device in contravention of this Act, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine which shall not be two lakh rupees but which may extend to five lakh rupees.

(3) Whoever abets or is a party to a criminal conspiracy to commit any offence punishable under this Act shall, if that offence is not committed in consequence of such abetment or criminal conspiracy, be punished with imprisonment for a term which may extend to one-fourth part of the longest term and with fine provided for such offence under this Act.

(4) Whoever having been convicted of an offence under any provision of this Act is again convicted of an offence under the same provision, shall be punished for the second and for each subsequent offence, with double the penalty provided for that offence.

16. Any person aggrieved with any lapse on the part of a travel agent may file a complaint before the Ombudsman for redressal of his grievance. The Ombudsman shall take such necessary steps, as deem fit, to redress the grievance of such person and if deems fit, may refer the case to the police authority of respective jurisdiction. Redressal of grievance.

17. In addition to imposing any punishment as provided under section 15, the Court may also award a reasonable amount of compensation to the aggrieved person to be paid by the travel agent. Compensation.

18. (1) If the person committing any offence punishable under this Act is a company, every person, who at the time of the commission of the offence, was in-charge of, and responsible to the company for the conduct of its business, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Offences by company.

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any negligence on the part of any Director, Manager, Secretary or any other officer of the company, such Director, Manager, Secretary or any other officer, shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

19. The punishment for an offence under this Act shall be without prejudice to any other action, which has been or which may be taken under this Act with respect to such offence. Punishment to be without prejudice to any other action.

20. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules.

(2) Every rule made under this Act shall, as soon as possible, after it is made, be laid before the State Legislature.

21. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any public servant for anything, which is done or intended to be done in good faith in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder. Protection of action taken in good faith.

Power to remove difficulties.

22. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provision, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing such difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section, shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislature.

RITU GARG,
ADMINISTRATIVE SECRETARY TO GOVERNMENT, HARYANA,
LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT.

11798—L.R.—H.G.P., Pkl.

भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 मई, 2025

संख्या लैज. 11/2025.– दि हरियाणा रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 13 मई, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:–

2025 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10

हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2025

ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने और उनकी अवैध और कपटपूर्ण गतिविधियों की जांच करने और अंकुश लगाने, हरियाणा राज्य के निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए ढांचा स्थापित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''अपील प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कोई अधिकारी;

(ख) ''धोखाधड़ी'' से अभिप्राय है, धारा 318 की उप–धारा (1) के अधीन यथा उपबंधित धोखाधड़ी और इसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 319 की उप–धारा (1) के अधीन यथा उपबंधित प्रतिरूपण द्वारा की गई धोखाधड़ी भी शामिल है;

(ग) ''कम्पनी'' का वही अर्थ होगा, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) में इसे दिया गया है;

(घ) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कोई अधिकारी;

(ङ) ''आश्रित'' से अभिप्राय है, कोई भी व्यक्ति, जो प्रवासी पर निर्भर है या जिसका उस प्रवासी से रक्त का सम्बन्ध है;

(च) ''यन्त्र'' से अभिप्राय है, ऐसी कोई मशीनरी या उपकरण, जो किसी जाली या नकली दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित है;

(छ) ''दस्तावेज'' से अभिप्राय है, डिजिटल रिकार्ड सहित भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, अध्ययन, प्रवासन या कार्य करने के लिए अंग्रेजी भाषा की परीक्षा हेतु प्रमाण–पत्र, ट्रैवल पेपर, वीजा, टिकट या पासपोर्ट, जो पर्यटन या प्रवास के प्रयोजन के लिए योग्यता के समर्थन में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है या उपयोग किया जाना आशयित है;

(ज) ''प्रवासी'' से अभिप्राय है, भारत का कोई नागरिक, जो किन्हीं प्रयोजनों जैसे अध्ययन, कार्य, पर्यटन इत्यादि के लिए भारत से बाहर प्रवास करने के लिए आशयित है या प्रवास करता है या प्रवास कर गया है;

(झ) ''मानव तस्करी'' से अभिप्राय होगा और इसमें भारत से बाहर किसी व्यक्ति का अवैध रूप से निर्यात करना, भेजना या परिवहन करना या उत्प्रेरित करके, फुसलाकर या धोखा देकर या धोखाधड़ी करके उससे या उसके माता–पिता, रिश्तेदारों या उसके कल्याण में रूचि रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति से धन प्राप्त करके किसी प्रकार की सुविधा भी शामिल है;

(ञ) ''अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति'' से अभिप्राय है, कोई भी सम्पत्ति, चाहे चल या अचल हो, जो इस अधिनियम के उपबन्धों की उल्लंघना करते हुए किसी ट्रैवल एजेंट द्वारा अवैध साधनों से अर्जित की गई है;

(ट) ''औम्बडमैन'' से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए औम्बडमैन के रूप में नियुक्त कोई अधिकारी;

(ठ) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ड) ''पंजीकरण प्रमाण–पत्र'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण–पत्र;

(ढ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(ण) ''ट्रैवल एजेंट'' से अभिप्राय है, व्यवसाय करने वाली कोई भी फर्म या कम्पनी या इकाई या कोई व्यक्ति, जो उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का केन्द्रीय अधिनियम 31) के अधीन शासित होने वाली भर्ती के व्यवसाय को कार्यान्वित करने के सिवाय, देश के भीतर आने वाले पर्यटकों या यात्रियों या व्यक्तियों को विदेश भेजने से सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था, प्रबन्धन या संचालन में या जो किसी विदेश में भेजे गए व्यक्तियों से सम्बन्धित पैदा होने वाले मामलों में भी शामिल हैं और इसमें निम्नलिखित में से सभी या कोई भी मामला शामिल होगा, अर्थात्:–

(क) पासपोर्ट या वीज़ा प्रदान करने के लिए या उससे सम्बन्धित आवेदनों पर कार्यवाही करना; या

(ख) किसी कम्पनी, फर्म या इस प्रकार के निकायों या संस्थाओं के लिए एजेंट के रूप में निम्नलिखित कार्य करना–

(i) हवाई यात्रा टिकटों की बिक्री करना; और

(ii) भूमि या समुद्री रास्ते से देश के भीतर या किसी विदेश की यात्रा के लिए परिवहन के साधन उपलब्ध करवाना; या

(ग) निम्नलिखित के सम्बन्ध में विदेश जाने के इच्छुक व्यक्तियों को परामर्शी वीज़ा सेवा या मार्गदर्शन प्रदान करना–

(i) शिक्षा प्राप्त करने ;

(ii) पर्यटक या ट्रैवलर के रूप में सुखद यात्रा करने;

(iii) चिकित्सा उपचार प्राप्त करने;

(iv) सांस्कृतिक मनोरंजन या संगीतमय कार्यक्रमों की व्यवस्था करने;

(v) धर्म का प्रसार या प्रचार करने;

(vi) खेल प्रतियोगिताओं या आयोजनों में भाग लेने; या

(घ) ऐसा विज्ञापन देना या प्रचार करना, जो प्रकाशन, प्रसारण, संचार या इंटरनेट के माध्यम से किसी विदेशी देश के किसी भी क्षेत्र की यात्रा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हो; या

(ड.) प्रवास को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन करना या व्याख्यान देना या ऐसे प्रयोजनों के लिए सहायता प्रदान करना; या

(च) प्रवास के प्रयोजनार्थ वैवाहिक गठबन्धनों या दत्तक ग्रहण की व्यवस्था करना; या

(छ) किसी भी प्रयोजन, चाहे जो भी हो, के लिए देश के भीतर या भारत से विदेश के लिए किसी भी व्यक्ति की यात्रा की व्यवस्था करना; या

(ज) खण्ड (क) से (छ) में वर्णित किसी भी प्रयोजन के लिए स्वतंत्र रूप से दलाल के रूप में कार्य करना।

3. (1) ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय करने का कोई इच्छुक व्यक्ति या जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर पहले से ही ऐसे व्यवसाय में है, सक्षम प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तीन मास की अवधि के भीतर ऐसी फीस और ऐसे दस्तावेजों के साथ ऐसी रीति, जो नियमों के अधीन विहित की जाए, में आवेदन करेगा। पंजीकरण।

(2) यदि सक्षम प्राधिकारी सन्तुष्ट है कि उप–धारा (1) के अधीन किया गया आवेदन नियमानुसार है, तो यह ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन और ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में तीस दिन की अवधि के भीतर पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करेगाः

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी सन्तुष्ट है कि आवेदन में दिए गए ब्योरे गलत हैं या अधूरे हैं या पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कोई साक्ष्य या जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, तो यह आवश्यक जांच करने के बाद और आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आवेदन को अस्वीकार कर सकता हैः

परन्तु यह और कि व्यक्ति, जिसका आवेदन पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु अस्वीकार कर दिया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंगित की गई त्रुटियों को दूर करने के बाद पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए दूसरा आवेदन कर सकता है।

(3) उप–धारा (2) के अधीन किसी भी व्यक्ति को तब तक पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाएगा, जब तक उस द्वारा अपने आवेदन में दिए गए ब्योरों और दस्तावेजों का सत्यापन पुलिस द्वारा नहीं किया जाता है।

(4) पंजीकरण प्रमाण–पत्र की वैधता तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी, जो ऐसी रीति में और ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, के लिए नवीकरणीय होगी।

4. (1) कोई भी व्यक्ति तब तक ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय नहीं करेगा जब तक उसने इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं कर लिया हो। अनिवार्य पंजीकरण।

(2) पंजीकरण के बिना कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान ट्रैवल एजेंट के रूप में कार्य करता हुआ पाया जाता है, तो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का दोषी होगा।

5. इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, सक्षम प्राधिकारी को किसी भी हितबद्ध पक्षकार सहित साक्षियों को बुलाने और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने, तथा उन्हीं साधनों से दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने की शक्ति होगी, और (जहां तक हो सके) उसी रीति में जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय के मामले में दी गई है। सक्षम प्राधिकारी की शक्ति।

6. कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है, बाद में उसी या अन्य जिले में स्थित किसी स्थान पर अन्य कार्यालय या उसकी शाखा खोलता है, तो उसे ऐसे कार्यालय या उसकी शाखा के लिए नए सिरे से पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। कार्यालय या इसकी शाखा का पंजीकरण।

7. (1) सक्षम प्राधिकारी, किसी व्यक्ति द्वारा इसको किए गए आवेदन या अन्यथा से प्राप्त सूचना पर कि ट्रैवल एजेंट,– पंजीकरण प्रमाण–पत्र का रद्दकरण या निलम्बन।

(क) दिवालिया या ऋणशोधनाक्षम हो गया है; या

(ख) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे कार्य में संलिप्त हुआ है या से दुष्प्रेरित हो गया है, जो भारत के हित या इसकी सुरक्षा के प्रतिकूल है; या

(ग) मानव तस्करी में संलिप्त पाया गया हो या जाली दस्तावेजों को तैयार करने में संलिप्त पाया गया है; या

(घ) किसी दाण्डिक अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ड.) किसी तात्विक तथ्य को तोड़–मरोड़कर प्रस्तुत करके या तथ्य को छिपाकर पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया है या का नवीकरण करवाया गया है; या

(च) पंजीकरण प्रमाण–पत्र के किन्हीं निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया है; या

(छ) एक वर्ष की निरंतर अवधि तक ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय करने में विफल रहा है,

इस अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण–पत्र को रद्द कर सकता हैः

परन्तु पंजीकरण प्रमाण–पत्र को रद्द करने से पूर्व, ट्रैवल एजेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि वह नोटिस प्राप्त होने के सात दिन के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि उसका पंजीकरण प्रमाण–पत्र क्यों न रद्द कर दिया जाए।

(2) यदि उप–धारा (1) के खण्ड (घ) में वर्णित कारणों से पंजीकरण प्रमाण–पत्र रद्द कर दिया जाता है और अपील न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या ट्रैवल एजेंट द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए आवेदन पर पंजीकरण प्रमाण–पत्र बहाल कर सकता है।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी अभिलिखित कारणों से सन्तुष्ट है कि उप–धारा (1) में वर्णित किसी भी आधार पर पंजीकरण प्रमाण–पत्र को रद्द करने का मामला उसके पास विचारार्थ लम्बित है, तो वह, लिखित आदेश द्वारा, नब्बे दिन की ऐसी अनधिक अवधि, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए पंजीकरण प्रमाण–पत्र की कार्यवाही को निलम्बित कर सकता है। ट्रैवल एजेंट को ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर कारण बताना आवश्यक होगा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रमाण–पत्र की कार्यवाही को रद्द करने का निर्णय लिए जाने तक निलम्बन की अवधि को क्यों न बढ़ा दिया जाए।

(4) रद्दकरण या निलम्बन के आदेश पारित करने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी, प्रवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मामले पर विचार करेगा और ऐसा आदेश, जो वह उचित समझे, पारित कर सकता है।

(5) इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, जहां किसी पंजीकरण प्रमाण–पत्र को रद्द किया गया है, तो ऐसे ट्रैवल एजेंट को ऐसी अवधि, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, के लिए उसी व्यवसाय को करने से विवर्जित किया जाएगा।

ट्रैवल एजेंट द्वारा सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना।

8. (1) कोई भी ट्रैवल एजेंट, अपने पंजीकरण प्रमाण–पत्र का, इसके जारी किए जाने के बाद, सक्षम प्राधिकारी को तीन मास का नोटिस देते हुए किसी भी समय अभ्यर्पण कर सकता है और नोटिस की अवधि की समाप्ति पर, पंजीकरण प्रमाण–पत्र रद्द किया गया समझा जाएगा :

परन्तु ट्रैवल एजेंट अपने कार्यालय या इसकी शाखा को बन्द किए जाने के आशय को दो दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित करवाएगा, जिनमें से एक सम्बन्धित परिक्षेत्र में व्यापक प्रसार वाली क्षेत्रीय भाषा में होगा और पंजीकरण प्रमाण–पत्र के अभ्यर्पण के नोटिस के साथ ऐसे समाचार–पत्रों की प्रति साथ लगाई जाएगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन पंजीकरण प्रमाण–पत्र को रद्द करने के तथ्य को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दो दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित करवाया जाएगा, जिनमें से एक सम्बन्धित परिक्षेत्र में व्यापक प्रसार वाली क्षेत्रीय भाषा में होगा।

(3) पंजीकरण प्रमाण–पत्र रद्द होने पर, ट्रैवल एजेंट पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करते समय उसके द्वारा जमा करवाई गई फीस के प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा।

(4) इस धारा के अधीन पंजीकरण प्रमाण–पत्र का रद्दकरण होते हुए भी, ट्रैवल एजेंट, पंजीकरण प्रमाण–पत्र के रद्दकरण की तिथि से पूर्व उस द्वारा किए गए कृत्यों, भूलों और चूकों के लिए दायी होगा और अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही भी की जाएगी।

अपील।

9. इस अधिनियम की धारा 3 या 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश पारित किए जाने के नब्बे दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील कर सकता है :

परन्तु अपील प्राधिकारी, आदेश की नब्बे दिन की समाप्ति के बाद अगली नब्बे दिन की और अवधि के भीतर अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारणों से समय पर अपील दायर करने से रोका गया था।

डिजिटल कार्यवाहियाँ।

10. पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने और पंजीकरण प्रमाण–पत्र के निलम्बन/रद्दकरण इत्यादि की प्रक्रिया ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में डिजिटल साधनों के माध्यम से केन्द्रीकृत वेब पोर्टल पर कार्यान्वित की जाएगी।

तलाशी और जब्त करने की शक्ति।

11. यदि कोई भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जो उपमण्डल मजिस्ट्रेट की पदवी से नीचे का न हो, या कोई पुलिस अधिकारी, जो पुलिस उप अधीक्षक की पदवी से नीचे का न हो, किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गई और लिखित रूप में ली गई सूचना पर कि किसी दस्तावेज या यन्त्र, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया है या कोई दस्तावेज या अन्य सामग्री, जो ऐसा अपराध करने के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है, किसी भवन, तम्बू, पात्र, वाहन या स्थान पर रखी या छिपाई गई है, तो वह किसी भी समय–

(क) ऐसे किसी भवन, तम्बू, पात्र, वाहन या स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है;

(ख) कम से कम दो स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में, किसी भी घर के किसी दरवाजे या खिड़की को तोड़ सकता है और ऐसे प्रवेश के लिए किसी भी बाधा को दूर कर सकता है;

(ग) किसी दस्तावेज को तैयार करने में उपयोग किए गए किसी दस्तावेज या यन्त्र या पदार्थ या सामग्री को जब्त कर सकता है, जो वह इस अधिनियम के अधीन जब्त करने का कारण मानता है और उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई अन्य दस्तावेज या सामग्री, जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने का साक्ष्य हो सकती है।

12. कोई पुलिस अधिकारी, जो उप–निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो, अन्वेषण करेगा, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा उसको दी गई सूचना की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर उसके द्वारा पूरा किया जाएगा। पुलिस उप अधीक्षक/सहायक पुलिस आयुक्त की पदवी का पुलिस अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, उप–निरीक्षक द्वारा किए गए अन्वेषण का सत्यापन करेगा। अन्वेषण करने की शक्ति।

13. पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक, जैसी भी स्थिति हो, अपनी–अपनी अधिकारिता में किए जाने वाले सभी अन्वेषणों के लिए नोडल अधिकारी होगा। अन्वेषण का नोडल अधिकारी।

14. इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के दौरान, न्यायालय विनिश्चय करेगा कि विधिविरूद्ध अर्जित सम्पत्ति समपहरण करने के लिए दायी है और यदि वह इस प्रकार विनिश्चय करता है, तो वह ऐसी रीति में, जो वह उचित समझे, उस सम्पत्ति को समपहरण करने के आदेश कर सकता है। समपहरण।

15. (1) जो कोई भी मानव तस्करी करने या जाली दस्तावेज तैयार करने में संलिप्त पाया जाता है, तो उसे कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने, जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, से भी दायी होगा। दण्ड।

व्याख्या.– इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, जाली दस्तावेजों में पूर्णतः या भागतः जालसाजी से बनाया गया कोई भी मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रोनिक अभिलेख शामिल है।

(2) जो कोई भी इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रमाण–पत्र प्राप्त किए बिना ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय करता है या इस अधिनियम के उपबन्धों की उल्लंघना करता है या इस अधिनियम की उल्लंघना में यंत्र रखता है या उसका उपयोग करता है, तो उसे कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने, जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, से भी दायी होगा।

(3) जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने के लिए दुष्प्रेरण करता है या आपराधिक षड़यंत्र का पक्षकार है, यदि वह अपराध ऐसे दुष्प्रेरण या आपराधिक षड़यंत्र के परिणामस्वरूप कारित नहीं होता, तो उसे इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की ऐसी अवधि, जो अधिकतम अवधि के एक चौथाई तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

(4) जो कोई भी इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका हो, उसी उपबन्ध के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तो उसे द्वितीय और उसके पश्चात्वर्ती प्रत्येक अपराध के लिए, उस अपराध के लिए उपबन्धित दुगुनी शास्ति से दण्डित किया जाएगा।

16. किसी ट्रैवल एजेंट की ओर से किसी चूक से व्यथित कोई व्यक्ति अपनी शिकायत का निवारण करवाने के लिए औम्बडमैन के सम्मुख शिकायत दर्ज करवा सकता है। औम्बडमैन, ऐसे व्यक्ति की शिकायत का निवारण करने के लिए, ऐसे आवश्यक कदम उठाएगा, जो उचित समझे, और यदि उचित समझे, तो मामले को संबंधित अधिकारिता वाले पुलिस प्राधिकारी को भेज सकता है। शिकायत का निवारण।

17. धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित कोई दण्ड अधिरोपित करने के अतिरिक्त, न्यायालय, व्यथित व्यक्ति को ट्रैवल एजेंट द्वारा भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की उपयुक्त राशि भी प्रदान कर सकता है। मुआवजा।

18. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने वाला व्यक्ति, कोई कम्पनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय पर कम्पनी का प्रभारी था, और कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए इसके प्रति जिम्मेवार था, के साथ–साथ कम्पनी को भी अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा आगामी कार्यवाही तदनुसार किए जाने के लिए दायी होगा/होगी और तदनुसार दण्डित किया जाएगा/की जाएगीः कम्पनी द्वारा अपराध।

परन्तु इस उप–धारा में दी गई कोई भी बात, इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को दायी नहीं बनाएगी, यदि वह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या कि उसने अपराध को रोकने हेतु सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप–धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता, या उसके भाग पर किसी उपेक्षा के कारण किया गया है, तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा आगामी कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होगा और तदनुसार दण्डित किया जाएगा।

किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दण्ड।

19. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दण्ड, किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, जो ऐसे अपराध के संबंध में इस अधिनियम के अधीन की गई है या की जा सकती है।

नियम बनाने की शक्ति।

20. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

21. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी लोक सेवक के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

22. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्असंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद, इस धारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

11878—L.R.—H.G.P., Pkl.